न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 89 / 2018

1 श्रवण कुमार आयु 43 साल पुत्र फुलचन्द जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 हरफुल
2 मातुराम
3 महेन्द्र
4 नानुराम
5 श्योकरण
6 छोटुराम पुत्रगण छाजुराम जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7 लीलाधर पुत्र
8 दलीप पुत्र
9 श्याना पुत्री
10 झिमकोरी स्त्री
11 गंगाधर पुत्र
12 बीरबल पुत्र स्व. मामचन्द जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
13 मुली स्त्री फुलचन्द
14 शीशपाल पुत्र जालु
15 महेन्द्र पुत्र जालु जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
16 सुरेन्द्र पुत्र बुटीराम
17 राकेश पुत्र बुटीराम
18 सैतान सिंह पुत्र श्योकरण
19 इन्द्राजसिंह पुत्र श्योकरण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20 मूलचन्द पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
21 मृतक रामभगत पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं। दौराने प्रार्थना पत्र अविवाहित रहते मृत्यु
22 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखल जरिये शाखा प्रबन्धक।
23 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजाड़ी कला तहसील झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक।
24 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार नवलगढ़।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त. अधिनियम 1955
अपील विरूद्ध निर्णय दिनांकित 25.07.2018 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मुकदमा उनवानी हरफुल
बनाम लीलाधर वगै. मु.नं. 11/2015 प्रार्थन पत्र अन्तर्गत
धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहर लाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 10/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 11/2015 में पारित निर्णय दिनांक 25.07.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 203 सरहद राजस्व ग्राम जाखल तहत तहसील नवलगढ़ में स्थित है जमीन हाल खसरा नम्बर 203 व खसरा नम्बर 1161/203 के खातेदार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 है। जमीन हाल खसरा नम्बर 205 रकबा 1. 29 हैक्टेयर सरहद राजसव ग्राम जाखल तहत तहसील नवलगढ़ में स्थित है। जमीन हाल खसरा नम्बर 205 के खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 लगायत 21 है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने जमीन हाल खसरा नम्बर 203 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 205 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 12 फीट चौड़ाई कटाने रास्ते की मांग के लिय विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जिस आवेदन पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.07.2018 को स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय जैर बहस पारित करने में अपीलान्ट व अन्य द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजर अन्दाज करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय जैर बहस पारित करने में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के आवश्यक प्रावधानों को नजर अंदाज किया है। विचारण न्यायालय ने नजदीकी रास्ता के प्रावधान को भी नजर अंदाज किया है। जमीन हाल खसरा नम्बर 203 के उत्तर दिशा में जमीन हाल खसरा नम्बर 198 स्थित है। खसरा नम्बर 198 में से 0.22 हैक्टेयर जमीन की सहखातेदार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 6 की माता किस्तुरी स्त्री छाजुराम है। खसरा नम्बर 198 के उत्तर दिशा में स्थित खसरा नम्बर 190 के उत्तर में ग्राम जाखल से सौंथली जाने वाला कटानी आम रास्ता है। इस प्रकार खसरा नम्बर 203 में आने जाने के लिए ग्राम जाखल से सौंथली का कटानी आम रास्ता रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 6 के लिये नजदीकी रास्ता है। खसरा नम्बर 203 के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 205 जो अपीलान्ट व अन्य की है तथा खसरा नम्बर 205 के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 218 व 219 गैर मुमकिन जोहड़ स्थित है। गैर मुमकिन जोहड़ के दक्षिण कोने तक खसरा नम्बर 221 कटानी रास्ता है। इस प्रकार खसरा नम्बर 203 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 205 व 141/214 व 2019 व 2018 में से खसरा नम्बर 221 रास्ता तक की लम्बाई

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिक है। गेर मुमकिन जोहड़ खसरा नम्बर 218 व 219 में कोई कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार खसरा नम्बर 203 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 190 व 198 में से नजदीक है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस पारित करने में उक्त प्रावधान की अनदेखी की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस पारित करने में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के आदेशात्मक प्रावधानों की अनदेखी कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। तहसीलदार नवलगढ़ की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2018 मुताबिक कानून नहीं है। उपरोक्त नियम 69 के मुताबिक तहसीलदार की रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते बाबत पत्रावली में रिपोर्ट आना कानूनन आवश्यक है फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 10.01.2018 में खसरा नम्बर 203 के लिए वैकल्पिक रास्ते बाबत कोई रिपोर्ट नहीं है, खसरा नम्बर 203 के लिये खसरा नम्बर 190 व 198 में से नजदीकी वैकल्पिक रास्ता मौजुद है जिसका फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 10.01.2018 में कोई उल्लेख नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व अन्य द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2018 पर की गई आपत्ति को बिना विधि पूर्ण रूप से निस्तारण के गलत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई आधार दर्ज नहीं किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय जैर बहस तक एवं निष्कर्ष सहित पारित नहीं किया। विचारण न्यायालय ने फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2018 पर कानूनी रूप से गौर नहीं किया फर्द मौका रिपोर्ट पर आपत्ति को दर किनार किया है। विचाराधीन निर्णय जैर बहस स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय जैर बहस खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि नकल जमाबंदी ग्राम जाखल संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 203/2.74, 1161/203/0.41 किता 2 कुल रकबा 3.15 हैक्टेयर की खातेदारी हरफूल मातुराम महेन्द्र नानूराम श्योकरण छोटूराम पिता छाजुराम कौम जाट सा. देह खातेदार मातुराम महेन्द्र नानूराम छोटूराम पुत्र छाजुराम हिस्सा 2/3 रहन झु. स.भूमि वि.बैंक नवलगढ़ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 205/1.29, 217/3.72,

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

220/1.68, 242/0.06, 243/3.00 किता 5 कुल रकबा 9.75 हैक्टेयर की खातेदारी मामचन्द पुत्र भींवाराम हिस्सा 1/6 श्रवणकुमार गंगाधर बीरबल पिता फूलचन्द मूली पत्नी स्व. फूलचन्द हिस्सा 1/6 सुल्तान शिशपाल महेन्द्रसिंह पिता जालू हिस्सा 1/3 सुरेन्द्र राकेश पिता बूटीराम सैतानसिंह इन्द्राजसिंह मूलचन्द रामभगत पिता श्योकरण हिस्सा 1/3 कौम जाट सा. देह खातेदार जर्द रिकार्ड है तथा इसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामान्तकरण संख्या 1270 नि.दि. 06.04.2011 विरासत सुल्तान फौत के स्थान पर विनोद देवी पत्नी स्व. सुल्तान हिस्सा 1/9 स्वीकार। नामान्तकरण संख्या 1541 नि.दि. 20.02.2014 हकत्याग खसरा नम्बर 205/1.29, 217/3.72, 220/1.68, 242/0.06, 243/3.00 किता 5 कुल रकबा 9.75 हैक्टेयर में विनोद देवी पत्नी सुल्तान कौमा जाट हिस्सा 1/9 सा.देह खातेदार के स्थान पर शिशपाल महेन्द्र सिंह पिता जालू जाति जाट हिस्सा 1/9 सा.देह खातेदार स्वीकार शेष बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.01.2018 के अनुसार खसरा नम्बर 1163/219 व 219 गै.मु. जोहड़ की भूमि है उक्त गैर मु. जोहड़ की भूमि से रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता किन्तु तहसील क्षेत्र में सभी जगह इन किस्म की भूमियों मे से प्रचलित रास्ते विद्यमान है जिसमें से कई डामरीकृत भी है। खसरा नम्बर 219 व 1163/219 में प्रचलन का रास्ता विद्यमान है जिसका उपयोग चारो ओर के खातेदार करते है तथा रिकार्डेड रास्ता खसरा नम्बर 221 में प्रवेश करते है। रिपोर्ट से स्पष्ट है कि, खसरा नम्बर 203 हेतु रास्ते की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। खसरा नम्बर 203 के उतर दिशा की तरफ रिकार्डेड रास्ते की दूरी तहसीलदार रिपोर्ट में 250 मीटर बताई गई है तथा आवागमन हेतु कोई रास्ते का उल्लेख नहीं है जबकि दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 219 व 1163/219 में प्रचलित रास्ते से होते हुये खसरा नम्बर 205 की दूरी 50 मीटर बताई गई है। चूंकि खसरा नम्बर 1163/219 व 219 किस्म गै. मु. जोहड़ से रिकार्डेड रास्ता तो नहीं दिया जा सकता लेकिन तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार मौके पर उक्त खसरा नम्बरान से खातेदारान द्वारा प्रचलित रास्तो का उपयोग किया जा रहा है। अतः खसरा नम्बर 219 व 1163/219 प्रचलित रास्ते से खसरा नम्बर 205 में से होते हुये प्रार्थी आवेदक के खेत की पहूचं के लिए सोर्टेस्ट रास्ता है। अतः आवेदकगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होने व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ते

RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की व्यवस्था न होने के कारण खसरा नम्बर 205 की पूर्वी दिशा के सहारे सहारे 65 मीटर लम्बा व 12 फीट चौड़ा रास्ता आवागमन हेतु विचाराधीन निर्णय से विचारण न्यायालय ने प्रदान कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 203 सरहद राजस्व ग्राम जाखल तहत तहसील नवलगढ़ में स्थित है जमीन हाल खसरा नम्बर 203 व खसरा नम्बर 1161/203 के खातेदार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 है। जमीन हाल खसरा नम्बर 205 रकबा 1.29 हैक्टेयर सरहद राजसव ग्राम जाखल तहत तहसील नवलगढ़ में स्थित है। जमीन हाल खसरा नम्बर 205 के खातेदार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 लगायत 21 है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 6 ने जमीन हाल खसरा नम्बर 203 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 205 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 12 फीट चौड़ाई कटाने रास्ते की मांग के लिय विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया जिस आवेदन पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.07.2018 को स्वीकार कर लिया।

विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.11.2017 में विचारण न्यायालय ने अंकित किया है कि मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.2016 अपूर्ण होने के कारण खारिज की जाती है। तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट मांगी गई है। इस आदेश में विचारण न्यायालय ने अंकित किया है कि इस मौका रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट नहीं है कि चारागाह भूमि में से आवेदक कहां जायेगा, स्पष्ट नहीं किया गया है। तथा न ही यह स्पष्ट है कि चारागाह भूमि में आवेदकगण को आवागमन हेतु रास्ता दिया जा सकता है अथवा नहीं। इसके उपरांत पुनः प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2018 के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 10.01.2018 में स्पष्ट अंकन किया गया है कि चारागाह/गै.मु. जोहड़ भूमि में रिकार्डेड रास्ता को उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने पूर्व में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 03.06.2016 को आदेश दिनांक 23.11.2017 से इसी आधार पर खारिज किया है। इसके उपरांत प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 10.

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

01.2018 को स्वयं के निर्णय दिनांक 23.11.2017 के विपरित स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 205 में से 65 मीटर दूरी का रास्ता गै.मु. जोहड़ तक दिया गया है। गैर मुमकिन जोहड़ खसरा नम्बर 1163/219 एवं 219 में रास्ता अंकित नहीं किया गया है। इसके विपरित खसरा नम्बर 1161/204, 198 एवं 189 में से रास्ता दिये जाने पर रास्ता जाखल सौंथली मार्ग में मिलता है। इसकी दूरी 250 मीटर होती है। धारा 251 में स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ता आवेदक के खेत से कटानी रास्ते तक निर्बाध होना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने दो बार मौका रिपोर्ट आने के उपरांत भी नजरी नक्शे में अंकित वैकल्पिक निर्बाध रास्ते के संदर्भ में संबंधित पक्षकारों को पक्षकार संयोजित कर सुनवाई किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे में अंकित निर्बाध वैकल्पिक रास्ते में आने वाली भूमि के खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर